

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1677
बुधवार, 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
यूनीफाइड ब्ल्यू इकोनोमी

1677. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार ने ब्ल्यू इकोनामी डिस्ट्रिक्ट के लिए डीप ओशन मिशन जैसे नीति-आधारित दृष्टिकोणों और प्रारूप विधान, अंतर-मंत्रालयी परामर्श या ब्ल्यू इकोनोमी कानून के लिए अनुमानित समय-सीमा के आधार पर कौन से प्रमुख विधायी कदम उठाए हैं;
- (ख) यूनीफाइड ब्ल्यू इकोनोमी अधिनियम के अभाव में समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट, कानूनी रूप से बाध्यकारी पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला मौजूद तंत्र कौन सा है;
- (ग) नियामक कमियों और ओवरलैप्स का किस प्रकार समाधान किया जा रहा है;
- (घ) पर्यावरण संरक्षण के लिए एकीकृत वैधानिक अवसंरचना की प्रस्तावित योजना क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा स्थानीय समुदायों, निजी क्षेत्र और राज्यों के बीच समुद्री कृषि, खनन और पर्यटन इत्यादि जैसे समुद्री-संसाधन लाभ के समान वितरण की गारंटी के लिए एक वैधानिक लाभ-साझाकरण तंत्र स्थापित करने की मौजूदा प्रणाली क्या है; और
- (च) क्या उभरते हुए ब्ल्यू इकोनोमी क्षेत्रों में निजी और विदेशी निवेश, जवाबदेही और दायित्व के लिए कोई समर्पित कानून या दिशानिर्देश हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ब्ल्यू इकोनोमी के लिए एक विधायी ढांचे की दिशा में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना रहा है। ब्ल्यू इकोनोमी पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा, जिसमें महासागर संबंधी संचालन और समुद्री स्थानिक नियोजन सहित सात विषयगत क्षेत्र शामिल हैं, फरवरी 2021 में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था और अंतर-मंत्रालयी और हितधारक परामर्श के बाद जुलाई 2022 में संशोधित किया गया था। नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का स्थायी रूप से दोहन करना है और भविष्य के कानून के लिए आधारभूत आधार प्रदान करता है। जबकि छह परिभाषित वर्टिकल वाला डीप ओशन मिशन व्यापक ब्ल्यू इकोनामी अवधारणा का एक उपसमूह है जो गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए तकनीकी विकास, जलवायु परिवर्तन परामर्शी सेवाओं को बढ़ावा देने, गहरे समुद्र में जैव विविधता के संरक्षण, महासागर जीव विज्ञान पर अनुसंधान और समुद्र से ऊर्जा और पेय जल के दोहन पर केंद्रित है।
- (ख) एक मञ्जबूत, क्षेत्र-विशिष्ट कानूनी ढांचा समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है। प्रमुख कानूनों में शामिल हैं:

क्षेत्र	कानूनी ढांचा / अधिनियम
तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र	इंवायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986
	कोस्टल रेगुलेशन ज्ञोन (सीआरजेड) नोटिफिकेशन, 2019
	वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972

मत्स्य पालन और जलीय कृषि	मेरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्टस (राज्य-विशिष्ट) नेशनल पोलिसी ऑन मेरीन फिशरीज़, 2017
शिपिंग और बंदरगाह एवं सुरक्षा	मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 मेजर पोर्ट अथरॉरिटिज एक्ट, 2021 इंटरनेशनल मेरीटाइम कन्वेंशनस (जैसे MARPOL) (मर्चेंट शिपिंग एक्ट के माध्यम से) मेरीटाइम ज़ोन्स एक्ट, 1976 रिसाइकिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 आइलैंड वेशेल्स एक्ट, 2021
तेल, गैस और गहरे समुद्र में खनन	ऑयलफिल्ड्स (रेगुलेशन्स एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 1948 ऑफशोर एरियाज मिनरल (रेगुलेशन्स एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2002 (2023 में यथा संशोधित)
पर्यटन और मनोरंजन	डीप ओशन मिशन (MoESफ्रेमवर्क)
समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और जैव पूर्वेक्षण	इंवायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट और CRZ नियम बायोलॉजिकल डाइवरसिटी एक्ट, 2002 बायोलॉजिकल डाइवरसिटी एक्ट, 2002

(ग) नियामक अंतरालों और ओवरलैप्स को निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) का परिवेश पोर्टल पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड मंजूरी के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति और पीएम गतिशक्ति पोर्टल भी एकीकृत योजना बनाने में सहायता करते हैं।

(घ) वर्तमान फोकस लक्षित सुधारों के माध्यम से मौजूदा पर्यावरणीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर है, जिसमें मौजूदा कानूनों में संशोधन और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के व्यापक कानून इंवायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 को सशक्त बनाना शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य ई-कचरा (प्रबंधन), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन और समायावधि पूरी कर चुके वाहनों (ईएलवी) को नष्ट करने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट नियम लागू करना है।

(ङ) विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में एक वैधानिक लाभ-साझाकरण तंत्र पहले से ही मौजूद है:

- आनुवंशिक एवं जैव-संसाधन: बायोलॉजिकल डाइवरसिटी एक्ट, 2002 और उससे संबंधित नियम, जैव विविधता निधि में मौद्रिक योगदान (कुल कारोबार का 0.2-0.6%) और गैर-मौद्रिक लाभ-साझाकरण के माध्यम से लाभों के आदान-प्रदानकाअधिदेश देता है।
- अपतटीय खनिज: ऑफशोर एरियाज मिनरल (रेगुलेशन्स एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2023 (OAMDR) के तहत, पट्टेदारों द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की अधिकतम एक-तिहाई अतिरिक्त राशि का भुगतान ट्रस्ट को करना होगा।
- मत्स्य पालन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और राज्य की नीतियाँ, समुद्री कृषि पार्कों से स्थानीय निकायों या स्वयं सहायता समूहों के साथ राजस्व के आदान-प्रदान (15-25%) को सुनिश्चित करती हैं।

- पर्यटन: तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड) क्षेत्रों में ईको-टूरिजम परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) समझौतों पर नीति आयोग के दिशानिर्देशों में अक्सर एक अनिवार्य राजस्व-साझाकरण घटक शामिल होता है। इसमें आमतौर पर निजी संचालकों को सरकार के साथ अपने समझौते के तहत, अपने सकल राजस्व का न्यूनतम 2-5% स्थानीय विकास कोष में जमा करना होता है।

(च) जी हाँ। निवेश, जवाबदेही और दायित्व के लिए समर्पित कानून और दिशानिर्देश हैं:

- बंदरगाहों और जलीय कृषि जैसे क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी कुछ शर्तों के साथ विदेशी बोलीदाताओं के लिए खुली है। (समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, DPIIT)
- मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व सम्मेलनों को अपनाता है और प्रदूषण से होने वाली क्षति के लिए अनिवार्य बीमा का अधिदेश देता है। अपतटीय सुरक्षा, तेल खदान विनियम, 2017 और एक मसौदा अपतटीय सुरक्षा निर्देश द्वारा नियंत्रित होती है।
- "हरित सागर" हरित बंदरगाह दिशानिर्देश (2023) टर्मिनल संचालकों के लिए ईएसजी रिपोर्टिंग का अधिदेश देते हैं। डीप ओशन मिशन को अपनी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक सम्यक तत्परता की आवश्यकता होती है।
- मेरीटाइम ज़ोन्स एक्ट, 1976, ऑफशोर विंड एनर्जीलीज रूल्स, 2023 जैसे अद्यतन नियमों के साथ, अपतटीय ऊर्जा और खनिज परियोजनाओं को पट्टे पर देने और विनियमित करने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
